

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
जो लोकप्रिय स्थल का है-26/05/22

क्र.ने. 83/2022

दिनांक 26/05/2022

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प... 21.3.2021

क्रमांक: राजस्व/प्र.गों.के.सं.का/2022/14 दिनांक: 26/05/2022

आदेश

आवेदक श्री... कुददा, रिन्कु पुत्रान पदम... ने
तहसील कोटखावदा में ग्राम... काट मुरलीपुरा... स्थित आराजी
खून... 21.2... रकबा... 0.07... के संबंध में जमाबन्दी
सम्बत्... 2075-2078... के खाता संख्या... 21.2... पर अंकित प्रविष्टि
दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम
... काट मुरलीपुरा... की जमाबन्दी के खाता संख्या... 21.2... की प्रविष्टि के
स्थान पर... कुददा इफ अमित कुमार, रिन्कु इफ राजेन्द्र कुमार...
किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के
अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत
पटवारी हल्का... काट मुरलीपुरा... की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा
की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्री... कुददा, रिन्कु... पुत्रान
श्री... पदम... जाति... दाई... निवासी...
... काट मुरलीपुरा... तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्बत्... 2075-2078
... काट मुरलीपुरा... के खाता संख्या... 21.2... में अंकित प्रविष्टि... कुददा,
... रिन्कु... के स्थान पर... कुददा इफ अमित कुमार,
... रिन्कु इफ राजेन्द्र कुमार... किए जाने की
स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

36

शिबिर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

क्रमांक: राजस्व/प्र.गों.के.सं.का/2022/15-16 दिनांक: 26/05/22

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार... कोटखावदा
2. पटवारी हल्का... काट मुरलीपुरा

36

उपखण्ड अधिकारी
शिबिर प्रभारी
चाकसू (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)